संख्या 237 / 54–1–11–8(9)/2011

प्रेषक,

रमेश मिश्र
विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद– अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, औरैया, आजमगढ़, बदायूँ, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, जे0पी0 नगर, कन्नौज, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर–खीरी, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सन्त कबीरनगर, सन्त रविदासनगर, शाहजहॉपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, आगरा, इलाहाबाद, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बिजनौर, चंदौली, इटावा, फरूखाबाद, गोण्डा, जौनपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, महराजगंज, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, वाराणसी, ललितपुर तथा महोबा।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांक 16 दिसम्बर,2011**

विषयः–समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) योजनान्तर्गत डाटा सेल में रखे गये कर्मचारियों के यात्रा भत्ता भुगतान के निर्देश में संशोधन विषयक।

महोदय,

पत्र सं0 1022/54–1–11–6(9)/2011 दिनांक 04 अक्टुबर,2011 द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) योजनान्तर्गत डाटा सेल में रखे गये कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के भुगतान के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त निर्देशों में सड़क मील भत्ता एवं उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर यात्रा भत्ता (टी0ए0/डी0ए0) विषय सम्मिलित नही किया गया था

एतद्द्वारा उपरोक्त निर्देशों मे सड़क मील भत्ता एवं उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर टी0ए0/डी0ए0 की निम्नलिखित दरों को सम्मिलित किया जाता है जो तद् दिनांक 04 अक्टुबर,2011 से प्रभावी माना जायेगा।

1. **सड़क मील भत्ताः–** अल्प दूरी की यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर एस0एल0एन0ए0, डाटा सेल में रखे गये कर्मचारियों को सड़क मील भत्ता रू0 10.00 प्रति कि0मी0 की दर से देय होगा।

2. **उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर टी0ए0/डी0ए0:–** उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर उन्ही दरों से दैनिक भत्ते अनुमन्य होगें जो उस स्थान के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है। यदि किसी होटल या अन्य संस्थान में जहां ठहरने और भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टेरिफ पर उपलब्ध हो, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। यह दैनिक भत्ता तत्सम्बन्धित निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि प्रदेश के बाहर के उन स्थानों

पर उत्तर प्रदेश राज्य, सम्बन्धित स्थानीय राज्य, अथवा अन्य किसी राज्य/प्रशासन के गेस्ट हाउस/संस्थान आदि की व्यवस्था उपलब्ध न हो सकी हो।

भवदीय

(रमेश मिश्र)
विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

संख्या / 54–1–11–8(9)/2011 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ0 सविता आनन्द, संयुक्त सचिव (डब्लू0एम0) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, सीजीओ काम्प्लेक्स, 11वॉ ब्लाक, छठा तल, नई दिल्ली।
2. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन, आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं संबंधित जनपद।
5. प्रशासक, शारदा सहायक/रामगंगा कमाण्ड, लखनऊ/कानपुर।
6. कृषि निदेशक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित उपनिदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी को प्रशासक/कृषि निदेशक के माध्यम से प्रेषित।
8. प्रशासनिक अधिकारी, एस0एल0डी0सी0 प्रभारी, 23–सी0, गोखलेमार्ग, लखनऊ को इस आशय से कि विभागीय वेबसाइड पर लोड कराना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

भवदीय

(रमेश मिश्र)
विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।